लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

शैक्षणिक कैलेण्डर सत्र 2023-24

एमपी बोर्ड शैक्षणिक कैलेंडर 2023-24 पीडीएफ फाइल

@ApniStudy.in

www.StudyNewsHindi.com

www.Apnistudy.in

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

आज़ादी का अमृत महोत्सव

शैक्षणिक कैलेण्डर सत्र 2023-24

श्री शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

G20 भारत 2023 INDIA
वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

अप्रैल 2023

अद्भुत मध्यप्रदेश

श्री इंदर सिंह परमार
राज्य मंत्री
स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार),
सामान्य प्रशासन, म.प्र. शासन

रविवार Sunday	सोमवार Monday	मंगलवार Tuesday	बुधवार Wednesday	गुरुवार Thursday	शुक्रवार Friday	शनिवार Saturday
30	**उमंग** • जीवन कौशल शिक्षा उमंग की सत्रवार एवं कक्षावार गतिविधि का विवरण कैलेण्डर के पृष्ठ क्रमांक 4 पर वर्णित है। **ओजस यूथ क्लब** • ओजस यूथ क्लब द्वारा आयोजित की जाने वाली सुझावात्मक गतिविधि का विवरण कैलेण्डर के पृष्ठ क्रमांक 2 पर वर्णित है।	*पुस्तक सप्ताह का आयोजन 24 से 29 अप्रैल विद्यालय में उपलब्ध समस्त पुस्तकों का प्रदर्शन किया जाए और निम्नानुसार गतिविधियाँ भी कराई जाए 1. बाल सभा में आयोजित कार्यक्रमों में स्रोत सामग्री जैसे महापुरुषों की जीवनी, खेलकूद सम्बन्धी नियम, कविताएँ, पहेलियाँ, विज्ञान, इतिहास, सामान्य ज्ञान एवं क्विज आदि हेतु पुस्तकालय से पुस्तक प्राप्त करने हेतु प्रेरित करें।	**प्रशिक्षण** विवरण — अवधि राज्य स्तरीय UHV प्रशिक्षण — 17 अप्रैल से 27 मई तक राज्य स्तरीय CCLE प्रशिक्षण — 17 अप्रैल से 20 मई तक जिला स्तरीय CCLE प्रशिक्षण — 01 मई से 30 मई तक CWSN हेतु प्राचार्य / शिक्षक / माता-पिता का उन्मुखीकरण — 01 जून से 15 जून तक विद्यालय स्तरीय CCLE प्रशिक्षण — 09 जून से 15 जून तक नवनियुक्त शिक्षकों हेतु इंडक्शन प्रशिक्षण — 15 जून से 30 जून तक सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण — 1 अगस्त से 30 अगस्त तक ब्रेल लिपि एवं साइन लैंग्वेज हेतु शिक्षक प्रशिक्षण — 16 अगस्त से 31 अगस्त तक		**1**
2 • पाम संडे	**3**	**4** • महावीर जयंती 	**5** • इंस्पायर अवार्ड मानक योजना अन्तर्गत प्रत्येक विद्यालय में कक्षा 6 से 10 तक अध्ययनरत 2 से 3 छात्रों के विज्ञान सम्बन्धी विषय पर आइडिया वेबसाइट www.inspireawards-dst.gov.in पर अपलोड करना (5 अप्रैल से 30 जून तक) • ओजस यूथ क्लब का गठन	**6** • पी.टी.ए., एस.एम.डी.सी. कैश बुक का मिलान एवं सत्यापन • अभिरुचि एवं अभिक्षमता परीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर करियर काउंसलिंग (दिनांक 6-30 अप्रैल)। • सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के अन्तर्गत् विभिन्न गतिविधियाँ*	**7** • गुड फ्राइडे • विश्व स्वास्थ्य एवं अंधत्व निवारण दिवस	**8** • मंगलपाण्डे बलिदान दिवस • एन.एस. एस. दल द्वारा गोद ग्राम/बस्ती में जनजागृति अभियान चलाकर प्राथमिक शालाओं में बच्चों को नियमित उपस्थिति हेतु प्रेरित करना
9 • ईस्टर सन्डे	**10** • डॉ. हेनीमेन जयंती • शाला शिक्षा कोष का मिलान एवं सत्यापन। • विद्यालय की आवश्यकतानुसार सुधार जैसे-फर्नीचर, मरम्मत, पेयजल व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, कक्षाओं की व्यवस्था, छत की मरम्मत, संगणक सम्बन्धी कार्य (दिनांक 10 अप्रैल से 30 मई तक)	**11** • महात्मा ज्योतिबाफुले जयंती • गुरु तेगबहादुर जयंती • प्राचार्य द्वारा लिपिकीय स्टाफ के साथ स्थायी एजेण्डा पर बैठक • पुस्तकालय निधि एवं पुस्तकों का भौतिक सत्यापन एवं अंकेक्षण मिलान।	**12** • गुरु अर्जुनदेव जयंती • समस्त शासकीय/अशासकीय विद्यालयों द्वारा शिक्षा पोर्टल पर मैपिंग एवं प्रोफाइल अपडेशन का कार्य प्रारम्भ करना।(लक्षित समय सीमा 20 अप्रैल 2023) • ओजस यूथ क्लब की गतिविधि	**13** • जलियाँवाला बाग दिवस	**14** • डॉ. अम्बेडकर जयंती • वैशाखी पर्व • अग्नि निरोधक दिवस	**15** • प्राचार्य द्वारा स्थानीय कैश बुक लेजर एवं स्टॉक पंजी का अवलोकन एवं भौतिक सत्यापन।
16 • वल्लभाचार्य जयंती आज़ादी का अमृत महोत्सव	**17** • संत सेन जयंती • नवीन शिक्षण सत्र प्रारंभ • सत्र 2023-24 हेतु प्राचार्य द्वारा स्टाफ की बैठक। • कैलेण्डर में दी गई शाला की प्रारंभिक गतिविधियाँ प्रारम्भ • बाल सभा के अन्तर्गत् चार सदनों का निर्माण। • 17 अप्रैल से 27 मई तक प्रशासन अकादमी भोपाल में सीसीएल्ई राज्य स्तरीय प्रशिक्षण • राज्य स्तरीय UHV प्रशिक्षण17 अप्रैल से 20 मई तक (वाल्मी में)	**18** • तात्याटोपे बलिदान दिवस • कैलेण्डर में दिए प्रावधान अनुसार विद्यालय की समय सारणी जारी की जाकर शिक्षकों को आवंटित कर कक्षाओं का संचालन। • शिक्षकों द्वारा मासिक पाठ्यक्रम विभाजन विद्यार्थियों को नोट कराना। • पीटीए/एसएमडीसी की बैठक का आयोजन	**19** • प्राचार्य द्वारा कार्यालय का निरीक्षण करपंजी में टीप दर्ज करना। • ओजस यूथ क्लब की गतिविधि • संस्था प्रधान द्वारा ग्रीष्मावकाश में किये जाने वाले कार्यों की प्राथमिकता तय करना। • क्रीडा निधि का मिलान एवं भौतिक सत्यापन।	**20** • प्रार्थना सभा में जी-20 की जानकारी दी जावे • नवीन प्रवेशित छात्रों का प्रोफाइल निर्माण • नव प्रवेशित विद्यार्थियों को शालेय व्यवस्था हेतु उन्मुखीकरण कार्यक्रम। G20 भारत 2023 INDIA	**21** • गुरु अनंगदेव जयंती • मणिपुर एवं नागालैण्ड राज्यों की भाषा, वेशभूषा, लोकगीत, नृत्य एवं चित्रकला पर आधारित स्टेट प्रोजेक्ट नोटबुक बनाने हेतु कार्य दिया जाए (ग्रीष्म कालीन आवकाश हेतु। • जमात उल विदा	**22** • विश्व वसुन्धरा दिवस • परशुराम जयंती • अक्षय तृतीया • ईद-उल-फितर
23	**24** • एसएमडीसी / पीटीए की स्थाई एजेण्डा पर बैठक का आयोजन • विद्यार्थियों में पुस्तकालय के उपयोग के प्रति अभिरुचि जागृत करने हेतु पुस्तक सप्ताह का आयोजन दिनांक 24 से 29 अप्रैल तक*	**25** • संत सूरदास जयंती • आद्य शंकराचार्य जयंती • विश्व मलेरिया जागरूकता दिवस • प्रयोगशाला निधि एवं उपकरणों का भौतिक सत्यापन एवं अंकेक्षण मिलान।	**26** • रामानुजाचार्य जयंती • शाला सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन के अन्तर्गत् शाला में मॉक ड्रिल एवं प्रदर्शनी का आयोजन • ओजस यूथ क्लब की गतिविधि	**27** • चित्रगुप्त प्रकटोत्सव • स्काउट /गाईड निधि का भौतिक सत्यापन एवं अंकेक्षण मिलान।	**28** • पोर्टल पर शाला सम्बन्धी मूलभूत जानकारियों को अपडेट करना। • शिक्षक समस्या निवारण शिविर (शाला स्तर पर)	**29** • प्राचार्य एवं विषय शिक्षकों द्वारा ग्रीष्मावकाश में विद्यार्थियों द्वारा किए जाने वाले प्रोजेक्ट, समर कोचिंग कैम्प, अभिरुचि शिविर का आयोजन

कुल शैक्षिक कार्य दिवस:- 21

शासकीय अवकाश:- 04-महावीर जयंती, 07-पुण्य शुक्रवार (गुड फ्राइडे) 14-डॉ. अम्बेडकर जयंती/वैशाखी, 22-परशुराम जयंती/ईद-उल-फितर

ऐच्छिक अवकाश:- 05-हाटकेश्वर जयन्ती 11-महात्मा ज्योतिबाफुले जयन्ती 14-विशु 17-सेन जयंती 20-ईद-उल-फितर(के ठीक पूर्व का दिवस) 21-जमात-उल-विदा 22-अक्षय तृतीया 25-शंकराचार्य जयंती (एकात्मता दिवस/दार्शनिक दिवस), 27-चित्रगुप्त प्रकटोत्सव

- प्रवेश प्रक्रिया-17 अप्रैल से नवीन शिक्षण सत्र प्रारंभ।
- विभिन्न बैठकों का स्थाई एजेण्डा-कैलेण्डर में निर्धारित तिथियों में प्राचार्य द्वारा ली जाने वाली बैठकों का सुझावात्मक एजेण्डा कैलेण्डर के पृष्ठ क्रमांक 20 पर वर्णित है। आवश्यकतानुसार अन्य बिन्दु भी सम्मिलित किए जा सकते हैं।

*छात्रों को सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों/निर्देशों की जानकारी दिए जाने हेतु स्थानीय सड़क सुरक्षा अधिकारियों को आमंत्रित कर व्याख्यान का आयोजन।

- कैलेण्डर में उल्लेखित महापुरुषों की जयंती / पुण्यतिथि एवं महत्वपूर्ण दिवसों के सम्बन्ध में प्रार्थना सभा में जानकारी दी जावे।

PDF @ApniStudy.in

प्राचार्य चार्टर

1. विद्यालय की कार्ययोजना का निर्माण किया जाए जिसमें विगत परीक्षा परिणाम के आधार पर आगामी वर्ष की परीक्षाफल उन्नयन हेतु कार्ययोजना बनाई जाकर उस पर कार्यवाही एवं नियमित समीक्षा की जावे।
2. अप्रैल माह के उत्तरार्द्ध में पालक शिक्षक संघ तथा शाला प्रबंध एवं विकास समिति का गठन करना एवं नियमित मासिक बैठक करना।
3. विद्यालयों में विषमयान के अनुसार शिक्षकों की कमी–पूर्ति करने की दृष्टि से आवश्यकता का आंकलन एवं विषय शिक्षकों की पूर्ति हेतु प्रयास।
4. शालाओं में शिक्षकों की कमी/ अनुपस्थिति/अवकाश पर जाने से शालाओं में दर्ज छात्रों का पठन–पाठन प्रभावित न हो इस हेतु योग्य अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था करना। हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में शत्–प्रतिशत रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जाना है।
5. प्राचार्य स्वयं अपनी संस्था में नियमित एक कालखण्ड लेकर अध्यापन करेंगे। इसका समय विभाग चक्र में उल्लेख किया जावे।
6. संस्था में समस्त वित्तीय कार्य शासकीय/अशासकीय शुल्क लेना, केशबुक का संधारण, छात्रवृत्ति वितरण आदि संस्था के लिपिकों से कराया जाए। प्रतिमाह शासकीय/अशासकीय केशबुक का मिलान तथा सत्यापन कार्य संस्था के वरिष्ठ सदस्यों तथा संकुल के अन्य योग्य शिक्षकों से कराया जावे।
7. संस्था में शिक्षकों/व्याख्याता के अवकाश/अनुपस्थित रहने के कारण की जाने वाले योग्य शिक्षक की व्यवस्था प्रथम कालखण्ड के पूर्व की जाकर संबंधित शिक्षक को अवगत कराया जाये, इस हेतु आकस्मिक व्यवस्था पंजी का संधारण अवश्य किया जाये।
8. प्राचार्य प्रतिदिन अपनी शाला की न्यूनतम दो कक्षाओं का अकादमिक निरीक्षण करेंगे तथा माह में एक बार प्रत्येक कक्षा का अकादमिक निरीक्षण करेंगे। शिक्षण में हो रही कमियों आदि से आदेश पुस्तिका के माध्यम से एवं शिक्षक डायरी में टीप अंकित कर संबंधित शिक्षक को अवगत कराएँगे।
9. शास/अशासकीय शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों के कल्याण हेतु शिक्षक कल्याण द्वारा निर्धारित स्वैच्छिक अशंदान, व्याख्याता/प्राचार्य 100/– रुपये, शिक्षक प्रधानाध्यापक 50/– रुपये एवं अध्यापक संवर्ग/सहायक शिक्षक से 25/– रुपये एकत्रित कर संबंधित शिक्षक को पावती दी जाये तथा शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान लोक शिक्षण संचालनालय के खाते में कोर बैंकिग के माध्यम से बैंक ऑफ महाराष्ट्र, गौतम नगर, भोपाल के खाता क्रमांक 60094157364, आई.एफ.एस.सी. कोड क्रमांक एम.ए.एच.बी. 0000946 में 30 सितम्बर तक जमा कराई जाए। जहाँ कोर बैंकिग सुविधा उपलब्ध न हो वहाँ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से शिक्षक कल्याण के उक्त खाते में राशि जमा कराई जावे।
10. शासकीय विद्यालयों में नियमित रूप से अध्ययनरत विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जानकारी की डाटा एन्ट्री पोर्टल में अवश्य करावें।
11. ग्रीष्मकालीन कार्ययोजना :– ग्रीष्मावकाश में संस्था प्राचार्य को निम्नांकित कार्य सम्पादित करने है :–
    - शैक्षणिक कैलेंडर अनुसार समस्त गतिविधियों का संचालन
    - आगामी सत्र हेतु विद्यालय को तैयार करना।
    - संस्था की सभी कैशबुक को 30 जून की स्थिति तक अपडेट करना।
    - भवन, फर्नीचर उपकरण आदि की मरम्मत एवं रंगाई, पुताई।
    - सभी स्टॉक रजिस्टरों की सामग्री का भौतिक सत्यापन करवाना।
    - सेवा अभिलेखों में वेतन निर्धारण, वेतनवृद्धि, अवकाश, जी.पी.एफ. नामिनेशन, सेवा सत्यापन आदि पूर्तियाँ करना।
    - विद्यालयीन अभिलेखों, शिक्षक डायरी, प्राचार्य कालखण्ड, निरीक्षण पंजी, आकस्मिक अवकाश लेखा, गृहकार्य निरीक्षण पंजी, विद्यार्थी लक्ष्य पंजी, शिक्षक लक्ष्य पंजी, वेतन पंजी, सामान्य भविष्य निधि पंजी, कटौत्रा पंजी, परीक्षा परिणाम पंजी आदि का संधारण एवं उन पर समय–समय पर टीप अंकित कर सील सहित अपने हस्ताक्षर करना।
    - सेवा अभिलेख, अवकाश आदि ऑनलाईन करना।
    - विद्यालय भूमि के नामांतरण की कार्यवाही करना।
    - प्रयोगशाला की मरम्मत, रंगाई, पुताई एवं प्रतियोगिता सामग्री क्रय करना।
    - जी.पी.एफ. रजिस्टर को अपडेट करना।
    - कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु कक्षा 8वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची प्राप्त करना तथा अप्रवेशी विद्यार्थियों का प्रवेश सुनिश्चित करना।
    - प्री–टेस्ट, पोस्ट टेस्ट एवं ब्रिज कोर्स तथा रेमेडियल कक्षाओं के संचालन की व्यवस्था करना।
    - अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था हेतु कार्यवाही करना।
    - विद्यार्थियों से प्रोजेक्ट बनवाना।
    - निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण का आकलन करना।
12. शाला के समस्त शिक्षकीय अमले की साप्ताहिक बैठक आयोजित कर उन्हें अकादमिक नेतृत्व प्रदान करना तथा श्रेष्ठ शिक्षकों की पहचान कर उन्हें विभिन्न स्तरों पर पुरस्कृत करने हेतु अनुशंसित करना।
13. शिक्षकों की सेवा संबंधी तथा आर्थिक समस्याओं का यथासंभव नियमानुसार निराकरण करना।
14. प्राचार्य कक्ष के बाहर पालकों, विद्यार्थियों तथा शिक्षकों हेतु समस्या सुझाव पेटी संधारित करना एवं प्राप्त समस्याएँ एवं सुझाव पर कार्यवाही करना।
15. मासिक, त्रैमासिक, छैमाही एवं प्री–बोर्ड के प्रश्नपत्रों का निर्माण एवं स्थानीय/बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन करना।
16. शाला सिद्धी–स्कूल मानक एवं मूल्यांकन की रूपरेखा अनुसार मानक तय कर विद्यालय सुधार योजना बनाकर निरन्तर सुधार करना।

योजनाओं का समय–सीमा में क्रियान्वयन :–

- विद्यार्थियों के कल्याण हेतु संचालित की जाने वाली विभिन्न योजनाओं यथा – निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, गणवेश वितरण, साइकिल वितरण, मध्यान्ह भोजन, समस्त छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति, केरियर मार्गदर्शन, इन्सपायर अवॉर्ड, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन आदि का क्रियान्वयन नियत समय सीमा में सुनिश्चित किया जाना।
- बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत् पात्र बालिकाओं के बैंक में खातों का खोला जाना एवं उसकी प्रविष्टि निर्धारित समय–सीमा में एजूकेशन पोर्टल पर करना।
- विज्ञान शिक्षा प्रोत्साहन हेतु इन्सपायर अॅवार्ड योजना अंतर्गत् कक्षा 6वीं से 10वीं तक के पात्र छात्रों एवं सायकिल के पात्र बालक/बालिकाओं की प्रविष्टि निर्धारित समय सीमा में एजूकेशन पोर्टल पर करना।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कक्षा 12वीं में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को, जिन्होंने महाविद्यालय में नियमित प्रवेश लिया है, संकायवार रुपये 10000/– प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति प्रदाय की जाती है। छात्रों का चयन मेरिट आधार पर किया जाता है, तथा संकायवार छात्रवृत्ति की संख्या निर्धारित है। विस्तृत जानकारी माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश के वेबसाइट www.mpbse.nic से प्राप्त कर अधिकाधिक विद्यार्थी की ऑनलाईन प्रविष्टि कराया जाना सुनिश्चित करें।
- समग्र छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
- शैक्षणिक कैलेण्डर में दिए गए विवरण अनुसार विभिन्न प्रतियोगिताओं, आयोजनों, खेल एवं बालसभा की गतिविधियों का शाला स्तर पर आयोजन सुनिश्चित कराना।
- छात्र के सर्वांगीण विकास को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय में स्काउट–गाइड/एनसीसी/एनएसएस/इको क्लब/सांस्कृतिक क्लब/पुस्तकालय/विज्ञान क्लब/स्पोर्टस क्लब/साहित्यिक/छात्र–शिक्षक वार्डन/छात्र परिषद गतिविधियों / ओजस यूथ क्लब / जीवन कौशल शिक्षा / सतत् एवं व्यापक अधिगम मूल्यांकन (CCLE) का नियमित संचालन एवं मानीटरिंग सुनिश्चित करना।

ओजस 'शालाओं में यूथ क्लब का गठन'

1.उद्देश्य – "ओजस" यूथ क्लब

- विद्यार्थियों को ऐसे अवसर प्रदान करना जिससे वे खाली समय में स्वस्थ व सकारात्मक कार्यो में व्यस्त रह सके और अपनी भावात्मक बौद्धिक औरशारीरिक पहचान की खोज बेहतर ढंग से कर सके।
- विद्यार्थियों को स्कूल के समय से पहले और बाद में सार्थक और उत्पादक गतिविधियों में संलग्न करना।
- स्कूल के बाद विद्यार्थियों को मेंटरिंग करना, उन्हें गलत रास्तों पर चलने से रोका जा सके और उन्हें स्वस्थ मार्गदर्शन , सामाजिक समर्थन मिल सके।
- विशिष्ट गतिविधियों का आयोजन ताकि विद्यार्थियों को उनकी रूचि के क्षेत्र में अपने कौशल को विकसित करने का अवसर मिल सके।
- विद्यार्थियों के लिए एक्सट्रा करीकुलर गतिविधियों के विकल्प प्रस्तुत करना।

2 "ओजस" यूथ क्लब के आयोजन के लिए चरणबद्ध योजना–

विद्यालयों में युवा क्लब का संगठन एक व्यवस्थित और चरणबद्ध प्रक्रिया में निम्नानुसार किया जाएगाः

- विद्यालय के सभी शिक्षक और प्राचार्य मिलकर विद्यार्थियों से चर्चा करेंगे। प्राचार्य किसी एक शिक्षक को "ओजस" यूथ क्लब का प्रभारी बनाएदगें। प्रभारी शिक्षक शाला के आसपास स्थापित अच्छे संस्थानों/ विशेषज्ञों से संपर्क कर शाला समय के बाद उन्हें विद्यार्थियो के लिये कक्षा संचालन इत्यादि के लिये आमंत्रित करेंगे। ये विशेषज्ञ विद्यार्थियों के लिऐ शाला समय के बाद कोर्स चला सकते हैं जिसमें विद्यार्थियो को संगीत, खेल, कुकिंग, एक्टिंग, स्थानीय लोक कला इत्यादि को सिखा सकते हैं।
- "ओजस" यूथ क्लब का गठन कराना। शाला के शिक्षक, विद्यार्थी एवं विशेषज्ञों को मिलाकर युवा क्लब का गठन किया जाएगा। यूथ क्लब में सामान्यतः कक्षा 9 एवं 11 के विद्यार्थियों को लिया जाएगा।
- गठन के बाद सभी विद्यार्थियों के साथ शाला समय के बाद बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में की जाने वाली गतिविधियों की सूची तैयार की जाएगी। इसमें शाला के आसपास स्थापित विशिष्ट केंद्रों/ विशेषज्ञों /संस्थान से हुई चर्चा के आधार पर की जाने वाली गतिविधियों की कार्ययोजना पर चर्चा करेंगे।

3. गतिविधियों का आयोजन–

- सामान्यतः गतिविधियाँ सप्ताह में 2 दिवस बुधवार एवं शनिवार को आयोजित की जाएगी। आवश्यकतानुसार विद्यार्थियों की सहमति से रविवार के दिवस भी आयोजित की जा सकेंगी।
- गतिविधियों का आयोजन विद्यालय समय के बाद अथवा विद्यालय के पूर्व भी किया जा सकता है। इस पर निर्णय विद्यार्थियों की सहमति से लिया जा सकता है। सामान्यतः एक दिवस में 1.30 घंटे गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। यदि विद्यार्थी और स्कूल चाहे तो समय बढ़ाया जा सकता है।

4. बजट व्यवस्था–

- रूपये 25000/– की राशि "ओजस यूथ" क्लब की गतिविधियों के लिए प्रदान की जाएगी। "ओजस" यूथ क्लब द्वारा खेलकूद के लिए शाला द्वारा क्रय/शाला में उपलब्ध सामग्री का उपयोग भी किया जा सकेगा।
- आवंटित बजट मे से प्रभारी शिक्षक को अतिरिक्त समय प्रदान कर गतिविधियों का संचालन करने के लिऐ रू. 100/– प्रति दिवस के मान से राशि प्रदान की जाएगी। शेष राशि का उपयोग स्त्रोत सामग्री (Resource material) विशेषज्ञों को स्थानीय आवश्यकतानुसार मानदेय, गतिविधियों के आयोजन हेतु किया जा सकेगा। प्रभारी शिक्षक गतिविधियों का संचालन कर उसका डॉक्यूमेंट तैयार करेंगें तथा प्रतिमाह आयोजित गतिविधियों का विवरण मय फोटोग्राफ के आनॅलाइन विमर्श पोर्टल पर अपलोड करेंगे।

यूथ क्लब द्वारा आयोजित की जाने वाली सुझावात्मक गतिविधियाँ

शैक्षणिक गतिविधियाँः

- विज्ञान, गणित कम्प्यूटर कोचिंग, स्पोकन इंग्लिश, अन्य भाषा सिखाना।
- कला प्रदर्शनः कला, पारंपरिक लोक कला का प्रदर्शन
- नाटकः नुक्कड़ नाटक (सड़क नाटक), लोक नाटक
- संगीतः संगीत, सामुदायिक गायन, लोक गीत, स्कूल बैंड
- नृत्यः लोक नृत्य।

बौद्धिक गतिविधियाँ युवा विचारक और व्याख्याताओं के गतिविधियाँ, वाद– विवाद, अंधविश्वास को दूर करना, चयनित विषयों पर व्याख्यान।

- खेल– इन्डोर खेल, आउटडोर खेल, योग
- कार्यशालाएँ : आर्ट्स, क्राफ्ट्स, हस्तशिल्प, कुकरी, नेतृत्व विकास
- पर्यावरण संरक्षण, सड़क सुरक्षा जागरूकता
- कॅरियर काउन्सिलिंग
- मनोरंजक गतिविधियाँ
- सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य
- पिकनिक, साइकिल यात्रा, आस–पास के स्थानों की सैर।

यूथ क्लबों द्वारा कैंप लगाकर निम्नानुसार गतिविधियाँ भी की जा सकती है:–

- रक्त समूह परीक्षण, रक्तदान शिविर
- नेत्रपरीक्षण, नेत्रदान की प्रतिज्ञा नेत्र परीक्षण समझौते के प्रारूप उपयुक्त अधिकारियों को सौंपे जाएँगे।
- पुस्तकालय की पुस्तकों पर चर्चा , पुस्तक क्लब, इको क्लब
- बागवानी
- मानव अधिकार, उपभोक्ता अधिकार, बाल अधिकार, महिलाओं के अधिकार या सूचना का अधिकार पर जानकारी देने हेतु कैंप
- भारतीय संविधान और भारतीय दंड संहिता पर जागरूकता
- जल,वायु, ध्वनि का प्रदूषण, स्वच्छता जागरूकता और स्वच्छता अभियान
- महामारी, यौन स्वास्थ्य, प्रजजन और एचआईवी / एड्स पर जागरूकता
- ई– गर्वनस
- बंजर भूमि को खेती योग्य बनाना
- कृषि और सम्बद्ध गतिविधियां – फसलों /सब्जी/फल/पशु का आयोजन
- पुस्तकालय की पुस्तकों पर चर्चा
- बुक क्लब
- गार्डन क्लब
- शुद्ध पेयजल और जनित रोगों के बारे में हर बरसात से पहले स्वास्थ्य शिविर। क्लोरीन पाउडर पोटेशियम परमैंगनेट आदि के उपयोग पर लोगों को शिक्षित करना।
- स्कूल, सड़क, गलियों की सफाई, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग प्रतिबंधित करना, जागरूकता फैलाना
- स्ट्रीट लाइट एवं हैण्ड पंप का रखरखाव,
- गांव में जलजमाव को हटाना,
- समारोहों, उत्सवों, आयोजन में सहयोग

PDF @ApniStudy.in